<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर</u>

<u>हकियत वाद–75 / 2019</u>

राज कुमार चौधरी वगैरह..............................वादीगण

बनाम

रजनीश कमार जयसवाल वगैरह...प्रतिवादीगण

<u>27.11.25</u> अभिलेख आज वादी की ओर से आदेश 22 नियम 3 के अतर्गत प्रतिस्थापन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–22.03.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण को उपरोक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल करने से न्यायालय द्वारा वंचित कर दिया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के वादी सं0–1 की मृत्यु दिनांक–30.12.2023 को अपने पीछे अपने जायज वारिसानों को छोड़कर हुई जिनमें से उनका पुत्र अभिषेक कुमार पहले से ही वादी सं0–2 हैं इसलिए मृत वादी की जगह पर उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। आवेदन सत्यापित एवं शपथ–पत्र से सम्पुष्ट है। अतः निवेदन है कि वादी सं0–1 का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके निम्नांकित वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा वादी सं0–1 आवश्यक पक्षकार हैं जिनके एक पुत्र अभिषेक कुमार वादी सं0–2 के रूप में पूर्व से वाद में पक्षकार हैं इसलिए वादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलापित उनके स्थान पर उनके शेष बचे वारिसानों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होते हैं। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। अतः वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन को वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। **कार्यालय आवेदनांकित मृत वादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपति कर उनके स्थान पर उनके शेष बचे वारिसानों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करें तथा वादी अगली निश्चित तिथि से अपना साक्ष्य अविलंब प्रस्तुत करें।**

वाद दिनांक– वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।

सिविल जज सि0डि0,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।